न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 121/2021
ऑनलाईन नंबर 2021/275

निर्णय दिनांक: २१.९.२०२२

सायरकंवर पत्नी स्व. सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–वादिनी–

बनाम

1. बेगाराम पुत्र जयचंद जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. कमला पत्नी स्व. दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
3. कमला पुत्री बच्छराज जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
4. करणीदान पुत्र दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
5. गुमानमल पुत्र सोहनलाल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
6. नन्दलाल पुत्र हुणतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
7. प्रवीण पुत्र जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
8. मंजू पुत्री दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
9. मंजूदेवी पत्नी गुमानमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
10. माया पुत्री जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
11. शांति पत्नी जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
12. सुधा पुत्री दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
13. सुशील पुत्र जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
14. हनुमानसिंह पुत्र बच्छराज जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
15. किशन पुत्र दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
16. सुनील पुत्र जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
17. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
18. भंवरलाल पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
19. मूली देवी पत्नी लूणाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
20. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति:–

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक वादीनी
2. श्री महेन्द्र सिंह मान अभिभाषक प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 14:49:19 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है वादिनी की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1380 तादादी 1380 तादादी 4.78 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। जो वादिनी की पुत्रियां बाबूड़ी कंवर व ममता कंवर के नाम से संयुक्त खातेदारी में हैं। उक्त खेत की सार–संभाल वादिनी करती है, वादिनी के खेत में सिंचित फसल हेतु टुयूब वैल बना रखा है तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा हैं तथा खेत में गेहूं व सरसों की फसल काश्त कर रखी हैं। वादिनी के खेत पश्चिमी सीवां जोड़ प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2124/1379 तादादी 3.1700 हैक्टेयर स्थित है। वादिनी के खेत के दक्षिण में खेत खसरा नम्बर 1381 तादादी 2.81 हैक्टेयर जो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 16 की संयुक्त खातेदारी का खेत है। खेत खसरा नम्बर 1381 के पश्चिमी–दक्षिणी तरफ खेत खसरा नम्बर 1382 तादादी 26.45 हैक्टेयर का स्थित है। वादिनी के खेत खसरा नम्बर 1380र में आवागमन का एक रास्ता पूर्व से पश्चिम चलता है, जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 आवागमन करते हैं। वादिनी के खेत में स्थित रास्ता कट्णी मार्ग न होकर चालू रास्ता हैं। वादिनी बैवा व गरीब औरत है, जो अपनी खातेदारी का खेत काश्त कर परिवार का पालन–पोषण करती हैं। प्रतिवादीगण अपनी सुविधा के अनुसार वादिनी के खेत में से चालू रास्ता के अलावा एक नया रास्ता और कायम करना चाहते हैं, जबकि वादिनी के खेत में से रास्ता आवागमन के लिए मौजूद हैं। प्रतिवादीगण राजनैतिक पहुंच रखने वाले धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो अपने खेतों में जाने के लिए अपनी सुविधा के लिए एक ओर नया रास्ता पूर्व से पश्चिम कायम करने की कुचेष्टा में हैं, जिसका अधिकार प्रतिवादीगण नहीं हैं। प्रतिवादीगण राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर व अपने प्रभाव में लेकर जबरदस्ती नया रास्ता वादिनी के खेत की सिंचित फसल में से कायम करने आमादा हुये व हल्का पटवारी को मौका पर ले जाकर जबरदस्ती फसल को खुर्द–बुर्द कर रास्ता कायम करने की चेष्टा की। वादिनी ने दिनांक 22.12.2021 को प्रतिवादीगण को जबरदस्ती नया रास्ता कायम न करने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी कि हमारा अभी राज है, हम हमारी सुविधा के अनुसार नया रास्ता आपके खेत की सिंचित फसल में से कायम करके ही रहेंगे। प्रतिवादीगण यदि वादिनी के खेत में सिंचित फसल में से नया रास्ता कायम करने में सफल हो गये तो वादिनी के खेत में काश्त की हुई फसल नष्ट हो जायेगी व वादिनी की काश्त की भूमि भी कम हो जायेगी। वादिनी को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी, जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी। वादिनी के खेत के चारों तरफ मौका पर सींव कायम है, प्रतिवादीगण ने वादिनी के खेत की सीवें काटकर रास्ता कायम करने की ऐलानियां धमकी दिनांक 22.12.2021 को दी हैं। वादिनी प्रतिवादीगण का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसी स्थिति में वादिनी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादगत खेत वादिनी की खातेदारी कब्जा, काश्त व उपयोग व उपभोग का खेत हैं। वादिनी ने अपने खेत में से आगे के खेतों में जाने के लिए एक रास्ता दे रखा हैं, उसके बावजूद प्रतिवादीगण जबरदस्ती धनबल व भुजबल से नया रास्ता एक ओर कायम करने की चेष्टा में हैं। वादगत खेत वादिनी की खातेदारी का है, वादिनी वादगत खेत की खातेदारी कब्जा, काश्त का होने से वादाधार व धमकी की दिनांक वादहेतुक प्राप्त हैं। यह है कि दावा चिरनेषधाज्ञा की प्राप्ति का [illegible] लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के कारण आवश्यक पक्षकार के रू[illegible] प्रति[illegible]ी संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया हैं। स्टेट के विरूद्ध दावा पेश कर[illegible]र्व दो माह का कानूनी नोटिस देने का प्रावधान हैं। वादिनी का दावा अर्जेन्ट [illegible] का है, अगर दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया जावेगा तो प्रतिवादीगण वादिनी के खेत में नया रास्ता कायम कर लेंगे। इसलिए दावा 80 (2) सी.पी.सी. का [illegible]र्थना–पत्र अलग प्रस्तुत कर नोटिस की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 14:49:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दावा बहक वादिनी व खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमायी जावें :–

(क) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादिनी की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1380 तादादी 4.78 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में खेत की सिंचित फसल को खुर्द–बुर्द न करें, ना ही सीवं काटे, नया रास्ता कायम नहीं करें ना ही खेत में प्रवेश करें तथा ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करें जिससे वादिनी के हितों पर विपरीत असर पड़ता हो।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित आज्ञा जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 21.05.2022 को मौका निरीक्षण किया गया एवं खसरा नंबर 1380, 1381, 1382, 1383 के संबंध में उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रस्तुत की गई। वादिनी सायर कंवर के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 20.06.2022 को वादिनी की और से घोषण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उपरोक्त पक्षकारानों के मध्य दिनांक 21.05.2022 को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ हल्का पटवारी की मौजूदगी में गांव के मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका पर ही राजीनामा हो चुका हे। जिसके अनुसार खेत खसरा नंबर 1394 में से आगे मेरे खेत खसरा नंबर 1380 की दक्षिणी तरफ होते हुए मेरे खेत पडौसी के खेत नंबर 1381 में प्रवेश करेगा तथा खेत खसरा नंबर 2125/1379 व खेत खसरा नंबर 1382 व खेत खसरा नंबर 1383 व 1384 के काश्तकार अपने खेत आने जाने के लिए खेत खसरा नंबर 1381 में से आवागमन करेगे।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत घोषण पत्र/राजीनामा के आधार पर वाद में तनकीहात कायम नहीं की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में उभय पक्ष की सहमति के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

वादिनी के खेत खसरा नंबर 1380 में से आवागमन हेतु एक रास्ता पूर्व से पश्चिम चलता है जो उभय पक्षकारान की सहमति एवं राजीनामा के अनुसार खेत खसरा नंबर 1380 के दक्षिण तरफ होते हुए खेत खसरा नंबर 1381 में प्रवेश करेगा। तथा खेत खसरा नंबर 2125/1379 व खसरा नंबर 1382, 1383, 1384 के काश्तकार खेत खसरा नंबर 1381 में प्रवेश करके खेत खसरा नंबर 1381 में से फंटकर अपने अपने खेत में प्रवेश करेगे। वादिनी सहमति एवं राजीनामा के अनुसार भविष्य में इस रास्ते से प्रतिवादीगण को आवागमन हेतु नही रोकेगी। उभय पक्षकारान इस रास्ते के अलावा अन्य कोई नया रास्ता कायम नहीं करेगे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 21.05.2022 को [illegible] नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करे। [illegible] जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.1.20[illegible] को [illegible] द्वारा [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजि[illegible] में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया ग[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 14:49:19 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मौका फर्द

आज दिनांक 21/05/2022 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश क्रमांक कोर्ट/2022/45 दिनांक 22-04-2022 की पालना में पटवारी हल्का मोमासर चन्दूशेखर को साथ लेकर ख.नं. 1380, 1381, 1382, 1383 का मौका देखने पहुंचा। मौके पर उभय पक्ष उपस्थित मिला व मौके पर मौजिज व्यक्ति पूर्व सरपंच, उपसरपंच आदि उपस्थित मिले। मौके पर प्रचलित मार्ग का निरीक्षण किया। व उपस्थित मौजिज व्यक्तियों से पूछताछ की गई। मौके पर उपस्थित मौजिज व्यक्तियों की सहमति से प्रस्तावित मार्ग नक्शानुसार निम्न है

प्रस्तावित मार्ग नक्शा जो सभी को स्वीकार है

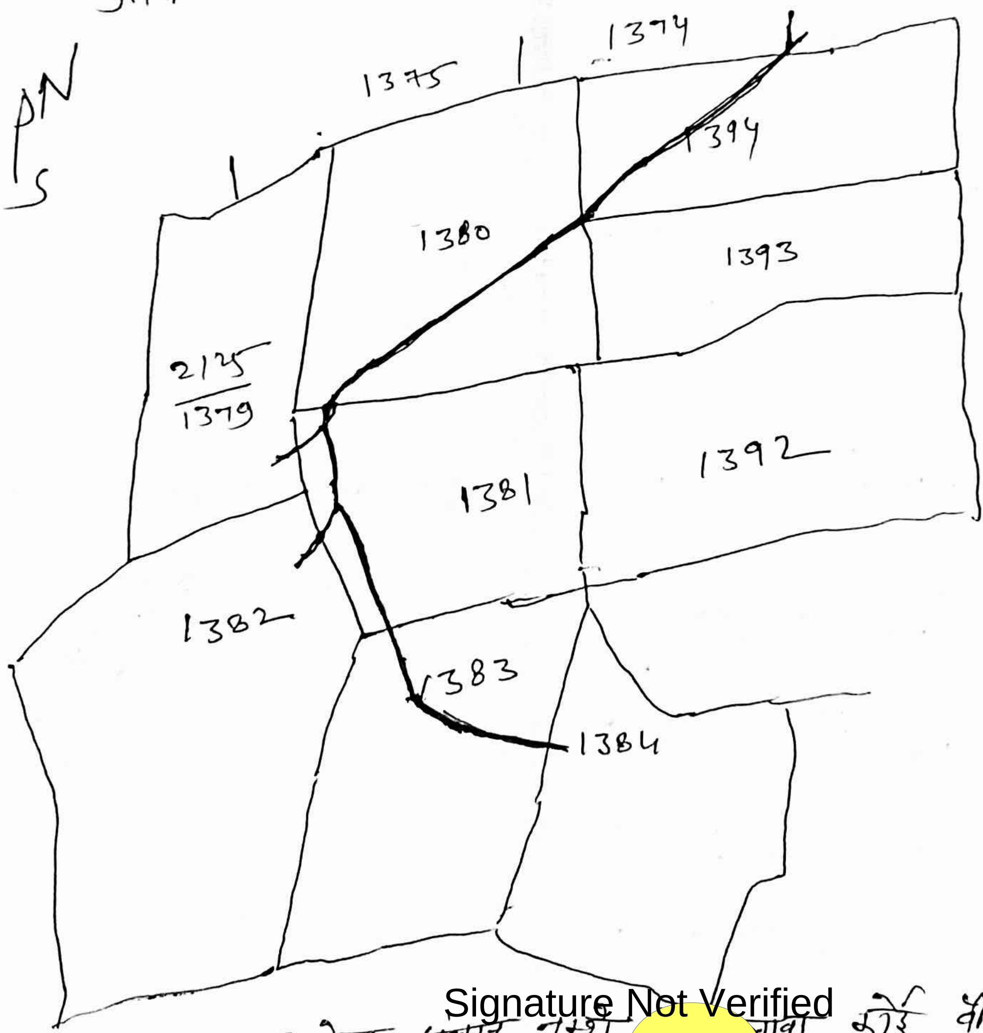

उपरोक्त संलग्न नक्शा [illegible] कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। उभय पक्ष [illegible] सहमति व्यक्त की मौका फर्द बनाई [illegible] सुनाया व हस्ताक्षर करवाये।

जेतराम पूर्व सरपंच [signature]

मालाराम गोदारा [illegible] [signature]

भगवानाराम

[signature] 21.5.22

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 14:49:19 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

सायरकंवर पत्नी स्व. सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

बनाम

1. **बेगाराम** पुत्र जयचंद जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. **कमला** पत्नी स्व. दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
3. कमला पुत्री बच्छराज जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
4. करणीदान पुत्र दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
5. गुमानमल पुत्र सोहनलाल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
6. नन्दलाल पुत्र हुणतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
7. प्रवीण पुत्र जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
8. मंजू पुत्री दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
9. मंजूदेवी पत्नी गुमानमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
10. माया पुत्री जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
11. शांति पत्नी जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
12. सुधा पुत्री दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
13. सुशील पुत्र जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
14. हनुमानसिंह पुत्र बच्छराज जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
15. किशन पुत्र दौलतराम जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
16. सुनील पुत्र जीतमल जाति महाजन (सेठिया) निवासी मोमासर तह. श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
17. ओमप्रकाश पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
18. भंवरलाल पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
19. मूली देवी पत्नी लूणाराम जाति जाट निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
20. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 121／2021
दावा बाबतः चिरनिषेधज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल दर्जी अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से श्री महेन्द्र सिंह मान मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिनी के खेत खसरा नंबर 1380 में से आवागमन हेतु एक रास्ता पूर्व से पश्चिम चलता है जो उभय पक्षकारान की सहमति एवं राजीनामा के अनुसार खेत खसरा नंबर 1380 के दक्षिण तरफ होते हुए खेत खसरा नंबर 1381 में प्रवेश करेगा। तथा खेत खसरा नंबर 2125／1379 व खसरा नंबर 1382, 1383, 1384 के काश्तकार खेत खसरा नंबर 1381 में प्रवेश करके खेत खसरा नंबर 1381 में से फंटकर अपने अपने खेत में प्रवेश करेगे। वादिनी सहमति एवं राजीनामा के अनुसार भविष्य में इस रास्ते से प्रतिवादीगण को आवागमन हेतु नही रोकेगी। उभय पक्षकारान इस रास्ते के अलावा अन्य कोई नया रास्ता कायम नहीं करेगे। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ द्वारा दिनांक 21.05.2022 को प्रस्तुत नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....O......मुवलिग......O........वाबत......O.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक १० माह ११ सन् 2022 को जारी किया गया

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 14:49:19 IST
Reason: SelfAttested